बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधेपुरा में पदस्थापन अवधि में वर्ष 1999–2000 में योजना मद से राशि गबन, पदीय कर्त्तव्य निर्वहन में विफलता एवं अन्य कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2777 दिनांक 25.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक 44 दिनांक 08.02.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 2911 दिनांक 03.06.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 1072 दिनांक 29.07.2014 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कारा आधुनिकीकरण के लिए प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा मंडल कारा, मधेपुरा के लिए स्वीकृत 9,00,000/– (नौ लाख रूपये) के आवंटन राशि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य नहीं कराया गया, दूसरी योजनाओं के लिए खर्च दिखाया गया एवं खर्च दिखाते हुए भी कार्य नहीं किया गया तथा तकनीकी स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय दिखाया गया और सरकारी राशि का गबन किया गया। साथ ही आरोपित पदाधिकारी 4,41,951/– (चार लाख इकतालीस हजार नौ सौ इकावन रूपये) खर्च दिखाकर राशि गबन करने के षड्यंत्र में संलिप्तता के लिए दोषी है। सभी कार्य कराने की जबावेदही काराधीक्षक की थी, किन्तु श्री चौधरी द्वारा इस मामले में शून्य प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया। इससे आरोपित पदाधिकारी की लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं राशि के गबन में उनकी संलिप्तता पायी गई है। आरोपित पदाधिकरी वित्तीय अनियिमतता, लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता के दोषी है।

4. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

(i) निन्दन।

(ii) देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।

5. उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5148 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2144 दिनांक 19.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " निन्दन " वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर)

को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) निन्दन।

(ii) देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–25/2012.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–25/2012 6821 दिनांक– 09-11-2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक कोषांग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमंडल, सहरसा/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ/श्री मनोज कुमार चौधरी, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को निदेशित किया जाता है कि दंडादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9.11.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)